



JANLOK PRATISHTHAN

Office No. 40, Chourang Smitshilp, Manjari Road,
Mahadev Nagar, Hadpsar, Pune - 412 307.
Mob.: 9373172406, Email: janlokpratishthan581@gmail.com

Reg. No.: MH/581/2015/F46095, Pune

PAN NO.: AACTJ1377K; TAN No.: PNEJ09764G

Website - <http://janlokpratishthan.org>

Sau. Sunanda Kadam
Chairman

Shri. Ganesh Khandave
Secretary

Shri. Kashinath Chavan.
Treasurer

जावक क्र. 473/2020

दिनांक : 9.06.2020

ऑस्ट्रेलिया के फेडरल कोर्ट में जनलोक प्रतिष्ठान की क्लास एक्शन द्वारा सुरक्षित पी ए सी एल फंड पी ए सी एल निवेशकों की धन वापसी के लिए भारत में :

यह खबर बहुत ही खुशी की है कि बड़ी मेहनत से जनलोक प्रतिष्ठान द्वारा की हुई कानूनी कारवाई के कारण ऑस्ट्रेलिया में फंसी पी ए सी एल की धनराशी १४ दिनों में सम्बद्ध निवेशकों के खातों में फिरसे हस्तांतरित करने के लिए उसे लोडा कमिटी के खाते में डाला जायेगा। दिनांक ३ जून २०२० को ऑस्ट्रेलिया के फेडरल अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुसार इस धनराशी का उपयोग पी ए सी एल के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए किया जायेगा।

जनलोक प्रतिष्ठान यह पुणे शहर में किसी मुनाफे के बिना कार्यरत एक सामाजिक संस्था है। इसकी स्थापना दिनांक १५ मई २०१५ को श्रीमती सुनंदा कदम के नेतृत्व में श्री आबासाहेब रुपनार, श्री खांदवे, तथा श्री काशिनाथ चव्हाण तथा श्रीमती शैला शिंदे, सौ विजया फुलावरे तथा श्री तेजस शिंगोटे की सहायतासे हुई थी। पी ए सी एल निवेशकों के जबरदस्त सहयोग के बलपर जनलोक प्रतिष्ठान ने सभी पी ए सी एल निवेशकों की ओरसे अपने देशके सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डब्लू पी क्र. ६४०/२०१६ दाखिल की थी।

वर्ष २०१५ में श्रीमती कदम मुंबई में एस ए टी न्यायालयमें चलनेवाले पी ए सी एल विरुद्ध सेबी केस में उपस्थित थी। उस समय उनकी समझ में यह बात आयी कि उस समय पारित आदेश चाहे निवेशकों के हित में था लेकिन उसमें इस बात की प्रबल संभावना थी कि लोगों को न्याय मिलने में विलंब होगा और लोगों की किसी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा। उसी समय श्रीमती कदम तथा उनके सहयोगीयों ने इस बातको भांप लिया कि सही रूप से उन



Sunanda



JANLOK PRATISHTHAN

Office No. 40, Chourang Smitshilp, Manjari Road,
Mahadev Nagar, Hadpsar, Pune - 412 307.
Mob.: 9373172406, Email: janlokpratishtan581@gmail.com

Reg. No.: MH/581/2015/F46095, Pune

PAN NO.: AACTJ1377K; TAN No.: PNEJ09764G

Website - <http://janlokpratishtan.org>

Sau. Sunanda Kadam
Chairman

Shri. Ganesh Khandave
Secretary

Shri. Kashinath Chavan.
Treasurer

जावक क्र. 473/2020

निवेशकों की ओरसे सुसंघटित रूप से कारवाई करने की बड़ी आवश्यकता है । सच कहा जाये तो पी ए सी एल के गरीब तथा मध्यम वर्ग के निवेशकों को इकट्ठा करना बड़ा ही कठिन कार्य था । इसका कारण यह था कि उन लोगोंमेंसे कई लोगों को यह भी पता नहीं था कि कानूनी कारवाई किस तरह की जाये । साथ इस विषय में कई तरह की संदिग्धता थी और किसी के पास किसी तरह की कोई जानकारी भी नहीं थी ।

जनवरी २०१६ में जनलोक प्रतिष्ठान को ऑस्ट्रेलिया के एक विशेषज्ञ तथा अनुभवी वकील श्री नेलकोबर्न के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई कि भारत के छोटे छोटे निवेशकों का पैसा लगाकर ऑस्ट्रेलिया में एम आय आय रिसॉर्ट खरिदा गया है । इस रिसॉर्ट को बेचकर लगभग १४७ दशलक्ष डॉलर्स की धनराशी वसुल हुई है जो जल्द ही लौटायी जायेगी । लेकिन पी ए सी एल निवेशकों का पैसा सुरक्षित रखने के लिए तथा उसे लोगों को लौटा ने के लिए आवश्यक कारवाई करना बड़ा ही कठिन काम था लेकिन उसके बिना कोई चारा भी नहीं था ।

जुलाई २०१८ में न्यायनिर्णय पारित करते समय ऑस्ट्रेलिया के फेडरल न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट किया था कि श्री कोबर्न तथा उनके पश्चात जनलोक ने सेबी से संपर्क स्थापित किया । श्री कोबर्न ने इस बातपर अधिक जोर दिया कि पी ए सी एल की संपत्ती ऑस्ट्रेलिया में इधर उधर होने को रोक लगाने के लिए इस प्रकरण का निबटारा जल्द से जल्द होना चाहिए । इस दृष्टीसे सेबी को यह भी बात बताई गयी थी कि यदि वे इस विषय में असफल होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जनलोक समूह के द्वारा कानूनी कारवाई की जायेगी । दिनांक ४ अप्रैल २०१६ को जनलोक ने सेबी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने

ऑस्ट्रेलिया में पी ए सी एल की १४७ दशलक्ष डॉलर्स की धनराशी पर रोक



Bardam



JANLOK PRATISHTHAN

Office No. 40, Chourang Smitshilp, Manjari Road,
Mahadev Nagar, Hadpsar, Pune - 412 307.
Mob.: 9373172406, Email: janlokpratishtan581@gmail.com

Reg. No.: MH/581/2015/F46095, Pune

PAN NO.: AACTJ1377K; TAN No.: PNEJ09764G

Website - <http://janlokpratishtan.org>

Sau. Sunanda Kadam
Chairman

Shri. Ganesh Khandave
Secretary

Shri. Kashinath Chavan.
Treasurer

जावक क्र. 473/2020

लगाने के लिए आवश्यक आरवाई करने के लिए सेबी से गुजारिश की। उससे पूर्व वर्ष २०१६ में निवेशकों की ओरसे जनलोक प्रतिष्ठान के द्वारा अनेक प्रयत्न किये गये। लेकिन उन्हें इस बातका आश्चर्य होता है कि पी ए सी एल निवेशकों का पैसा वापस लाने के लिए कानूनी कारवाई करने के लिए सेबी ने साफ शब्दोंमें इनकार किया था।

उसके पश्चात जनलोक ने पीडित निवेशकों के हितसंबंध को संभालने के लिए तेजीसे हलचल की तथा लोगों का पैसा वापस हासिल करने के लिए दिनांक १३ जून २०१६ को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में केस दाखील की। इस याचिका की शिकायतकर्ता थी श्रीमती सुनंदा कदम तथा श्री आबासाहेब रूपनार। जिस समय यह कारवाई की गयी तब जनलोक के पास केवल ४५ हजार निवेशकों की फेरिस्त थी। दिनांक १९ जून २०१६ को जनलोक ने सफलतापूर्वक निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त किया। इस कारण पी ए सी एल निवेशकों के लिए लगभग १४७ दशलक्ष डॉलर्स की धनराशी ऑस्ट्रेलिया के न्यायालय ने ट्रस्ट के खाते में रखवाई।

जुलाई २०१८ में ऑस्ट्रेलिया के न्यायालय द्वारा एक न्यायनिर्णय पारित हुआ जिसमें यह कथन किया था कि, "उपरोक्त कथन से केवल यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मिराज के विक्रय से प्राप्त धनराशी को सुरक्षित करने के लिए तथा सॅन्क्चुअरी कोव्ह प्रॉपर्टी के व्यवहार पर रोक लगाने के लिए श्रीमती कदम के वकीलों द्वारा यदि प्रयास न किये जाते तो निवेशकों का पैसा जिसे इस संपत्ती में फंसा दिया गया था उसे बाहर निकालना निहायत असंभव लगनेवाली बात थी। केवल श्रीमती कदम की कोशीश के कारण ही यह संभव हो पाया कि इस विवादित अरजी की सुनवाई के पश्चात एम आय आय रिसॉर्ट के अनुबंध में अस्थायी रूप से इस जिम्मेवारी का स्वीकार किया गया कि मिराज के विक्रय से



Sundam



JANLOK PRATISHTHAN

Office No. 40, Chourang Smitshilp, Manjari Road,
Mahadev Nagar, Hadpsar, Pune - 412 307.
Mob.: 9373172406, Email: janlokpratishtan581@gmail.com

Reg. No.: MH/581/2015/F46095, Pune

PAN NO.: AACTJ1377K; TAN No.: PNEJ09764G

Website - <http://janlokpratishtan.org>

Sau. Sunanda Kadam
Chairman

Shri. Ganesh Khandave
Secretary

Shri. Kashinath Chavan.
Treasurer

जावक क्र.

473/2020

प्राप्त होनेवाली धनराशी का अपव्यय नहीं किया जायेगा । साथ साथ श्रीमती कदम की ओरसे काम करनेवालों ने एक कॅव्हिएट दाखील करके सॅन्कचुअरी कोव्ह प्रॉपर्टी को सुरक्षित कर दिया था ।

लगभग एक वर्षके बाद अब यह धनराशी निवेशकों को लौटाने के लिए जब तैयार हो गयी तो सेबी ने इस धनराशी को अपने नियंत्रण में लेने के लिए उसमें अपना हस्तक्षेप किया जिन्होंने पिछले दो बरस तक इस प्रकरण में केवल समय बरबाद करने का काम किया जिस कारण दो वर्षों का विलंब हुआ । सेबी की केस के लिए लगभग २ दशलक्ष डॉलर्स का खर्चा भी निवेशकों की इस धनराशी से निकाला गया ।

निवेशकों की प्रक्रिया के विषय में भारत में लोडा कमिटीने जो कुछ कार्य किया उसके बारेमें ऑस्ट्रेलिया के न्यायालय ने सेबी से प्रश्न पूछा । केवल निवेशकों के द्वारा किये गये अनुवर्तन के कारण सेबी से निवेशक तथा उनके क्लेम्स के बारेमें जानकारी मांगी गयी । लेकिन सेबी यह विवरण नहीं दे सके । इसका कारण यह था कि उस वक्त तक क्लेम्स की संख्या तथा कुल धनराशी सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं की गयी थी । लिहाजा सेबी को भारत में ऑनलाईन रिफंड पोर्टल शुरू करने के लिए बाध्य होना पडा तथा दिनांक ८ अगस्त २०१९ को यह पोर्टल कार्यरत हुआ ।

सेबी के द्वारा शुरू किये पोर्टल की ओर से निवेशकों के अनेकों क्लेम्स नकारने की अनेक शिकायतें जनलोक के पास आने लगी । उसके पश्चात जनलोक ने सेबी द्वारा निर्मित पोर्टल से जुडी विभिन्न समस्याओं के विषय में विस्तृत रूप में प्रस्तुती की । कई बार कोशीशें करने पर भी असफल होने के पश्चात आखिर में जनलोक को सेबी के साथ एक मिटिंग निश्चित करने में सफलता मिली । यह



Sundam



JANLOK PRATISHTHAN

Office No. 40, Chourang Smitshilp, Manjari Road,
Mahadev Nagar, Hadpsar, Pune - 412 307.
Mob.: 9373172406, Email: janlokpratishthan581@gmail.com

Reg. No.: MH/581/2015/F46095, Pune

PAN NO.: AACTJ1377K; TAN No.: PNEJ09764G

Website - <http://janlokpratishthan.org>

Sau. Sunanda Kadam
Chairman

Shri. Ganesh Khandave
Secretary

Shri. Kashinath Chavan.
Treasurer

जावक क्र.
473/2020

मिटिंग बी के सी मुंबई में सेबी के कार्यालय में हुई जिसमें अनेकों समस्याओं पर विचार किया गया। उस समय उन समस्याओं को सुलझाने का वादा भी सेबी ने किया लेकिन उसके पश्चात लंबा समय बीतने पर भी सेबी ने इस विषय में कोई प्रयत्न नहीं किये।

इसी कारण से जनलोक ने ऑस्ट्रेलिया के न्यायालय में ८ हलफनामे दाखील किये जिनमें इस प्रकरण की गंभीरता तथा सेबी पोर्टल के विषय में सामने आनेवाली विभिन्न समस्याओं का विवरण प्रस्तुत किया था। लेकिन सेबी द्वारा आजतक इन समस्याओं को सुलझाने के लिए किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस विषय में सेबी ने ऑस्ट्रेलिया के न्यायालय में यह कहकर इस बात को उडा दिया कि, "निवेशकों की जो समस्याएं प्रस्तुत की है वे काफी लंबीचौड़ी है" तथा "यह परेशानियां तो केवल कहानियां तो है"। अपने जबाब में सेबी ने यह कथन भी किया था कि उन्होंने निवेशकों को इस बातके लिए अवसर भी दिया था कि वे क्लेम्स में हुई गलतियों को सुधार कर दें जिन्हे दाखील करनेपर जिनकी जांच पडताल नहीं की गयी थी। तथापि निवेशकों के उन हलफनामे में वर्णित मुद्दों के कारण प्रारंभ में निवेशकोंसे एक बड़े समूह को अपने क्लेम्स ठीक पंजिकृत करना भी संभव नहीं हुआ था। इसके कारण सुधार के लिए जो अवसर दिया गया वह उनके किसी कामका नहीं था। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए अनेक पी ए सी एल निवेशकों ने सेबी की हेल्पलाईन से संपर्क करने का प्रयत्न भी किया लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हुआ।

हाल ही में सेबी के द्वारा जो विवरण प्रस्तुत किया गया उसमें उन्होंने यह कहकर अपनी ही पीठ थपथपा ली है कि वर्तमान कोव्हिड महामारी के समय के दौरान उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन इन असहाय निवेशकों की समस्याओं को तथा उनके द्वारा किये गये क्लेम्स को सेबी ने सीधे तौरपर अनदेखा कर



S. Kadam



JANLOK PRATISHTHAN

Office No. 40, Chourang Smitshilp, Manjari Road,
Mahadev Nagar, Hadpsar, Pune - 412 307.
Mob.: 9373172406, Email: janlokpratishthan581@gmail.com

Reg. No.: MH/581/2015/F46095, Pune

PAN NO.: AACTJ1377K; TAN No.: PNEJ09764G

Website - <http://janlokpratishthan.org>

Sau. Sunanda Kadam
Chairman

Shri. Ganesh Khandave
Secretary

Shri. Kashinath Chavan.
Treasurer

जावक क्र.
473/2020

दिया । वर्तमान कोविड महामारी के समय मे इन असहाय निवेशकों की समस्याएं और भी विकराल बन गयी ।

इस बात को सारी दुनिया अच्छी तरह जानती है कि अनगिनत निवेशकों ने अपनी गाढी मेहनत की कमाई का पैसा पी ए सी एल मे निवेश किया और उस कारण से उन्होंने अनेकों वर्षोंतक केवल यातनाओं का ही सामना किया है उनका जनलोक ने सही रूप मे साथ दिया है । इन लोगों को अपने क्लेम्स ठीक तरह से दाखील करना संभव हो तथा उन्हें सही अवसर मिले इसी भावना को लेकर जनलोक के द्वारा पी ए सी एल डेटा नामक एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑनड्राइड प्ले-स्टोअर पर लांच किया गया । इस विषय मे यह कहा गया है कि इस पोर्टल पर रजिस्टर होनेवाले सभी क्लेम्स भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भेजे जायेंगे । इस तरह जनलोक के द्वारा जिला तथा राज्य स्तर की कमिटीने भारतभर अथक प्रयास किये जिसके द्वारा जनलोक ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी निवेशक को अनदेखा नहीं किया जायेगा । इस तरह जनलोक ने पी ए सी एल निवेशकों की सहायता से इस लडाई को बडी हिम्मत से आगे बढ़ाया है । इस लडाई से एक बात साफ हो गयी कि जनलोक द्वारा जाहीर की हुई इस कानूनी लडाई के कारण पी ए सी एल निवेशकों की जो धनराशी भारत मे आ रही है वह लोढा कमिटी द्वारा आजतक हुई वसुली की तुलनामे बहुत ज्यादा है । इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि सभी के सहयोग से, लगातार के प्रयास से तथा संयम के साथ सुसंघटित रूप से अपना कार्य यदि किया जाये तो सफलता मिलती ही है । जनलोक ने यह जिंदा मिसाल केवल पी ए सी एल के निवेशकों के विषय मे ही नहीं बल्कि अन्य अनेक कंपनीयों के पीडित निवेशकों के सामने पेश की है ।



Sundam



JANLOK PRATISHTHAN

Office No. 40, Chourang Smitshilp, Manjari Road,
Mahadev Nagar, Hadpsar, Pune - 412 307.
Mob.: 9373172406, Email: janlokpratishthan581@gmail.com

Reg. No.: MH/581/2015/F46095, Pune

PAN NO.: AACTJ1377K; TAN No.: PNEJ09764G

Website - <http://janlokpratishthan.org>

Sau. Sunanda Kadam
Chairman

Shri. Ganesh Khandave
Secretary

Shri. Kashinath Chavan.
Treasurer

जावक क्र.

473/2020

अगर किसी कंपनी द्वारा निवेश किया हुआ पैसा कानूनी मार्ग को अपनाकर परदेस से वापस लाना संभव हो सकता है तो हमारे देश में कानून के दायरे में रहकर सही मार्ग का उपयोग करने पर न्याय तो मिलना ही होगा। भारत में पी ए सी एल निवेशकों की ओर से हम लोडा कमिटी से गुजारिश करते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उचित सम्मान करते हुए सी बी आय द्वारा पी ए सी एल की जो संपत्ति जब्त की है उसे उचित दामों पर बेच दिया जाये तथा निवेशकों की समस्याओं का अंत जितने जल्द संभव हो कर दिया जाये। उसी तरह जनलोक की ओर से सभी पी ए सी एल निवेशकों से भी यह गुजारिश की जाती है कि वे अपने बाकी क्लेम्स बड़ी संख्या में जनलोक के पोर्टल पर लोड करें जिससे उनपर जो अन्याय आज तक हुआ है उसे जल्द से जल्द दूर किया जा सके। पी ए सी एल के निवेशक यही जनलोक की सच्ची शक्ति है तथा उन्हें संपूर्ण न्याय दिलाने के लिए आखिर तक यह कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जनलोक वचनबद्ध है और रहेगा।

हमें एक बात को समझना आवश्यक है कि कुछ लोगों ने सोशल मिडिया पर दावा किया कि उन लोगों द्वारा दाखिल शपथपत्र के कारण ऑस्ट्रेलिया से भारत में पैसा हस्तांतरित करना संभव हो सका है। लेकिन यह बात बिल्कुल ही झूठ है। इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलियन न्यायालय द्वारा पारित न्यायनिर्णय में तथा आदेश में इस व्यक्ति का नाम कहीं नजर नहीं आता। इसके अलावा किसी भी संबंधित व्यक्ति द्वारा ऑस्ट्रेलिया के फेडरल न्यायालय में किसी तरह का शपथपत्र इस विषय में दाखिल नहीं हुआ। आखरी केस में भी यह व्यक्ति कभी सम्मिलित नहीं हुआ था तथा वह व्यक्ति इस केस का हिस्सा कभी नहीं था। इस बात को ऑस्ट्रेलियन न्यायालय ने अपने आदेश में साफ शब्दों में वर्णित किया है।



Sadlam



JANLOK PRATISHTHAN

Office No. 40, Chourang Smitshilp, Manjari Road,
Mahadev Nagar, Hadpsar, Pune - 412 307.
Mob.: 9373172406, Email: janlokpratishthan581@gmail.com

Reg. No.: MH/581/2015/F46095, Pune

PAN NO.: AACTJ1377K; TAN No.: PNEJ09764G

Website - <http://janlokpratishthan.org>

Sau. Sunanda Kadam
Chairman

Shri. Ganesh Khandave
Secretary

Shri. Kashinath Chavan.
Treasurer

जावक.क्र. 473/2020

उसी तरह कुछ लोग एक बनावट वार्ता भी प्रसारित कर रहे है कि ऑस्ट्रेलिया से भारत मे रु.४२७ करोड की धनराशी हस्तांतरित हुई है । सभी निवेशक सत्य परिस्थिती समझने के लिए उत्सुक है । इसलिए हम इस बात को जाहीर कर रहे है कि हमे अंदाजन रु.३८५ करोड की धनराशी (हमे रु.४२७ करोड की धनराशी नहीं मिली है) सूद के साथ मिली है जो पीएसीएल निवेशकों को देने के लिए ऑस्ट्रेलिया से भारत मे आई है और यह बात फेडरल न्यायालय के दिनांक ३ जून २०२० को पारित आदेश मे साफ शब्दोंमे लिखी है। उपरोक्त कथन के अनुसार जनलोक के द्वारा जो लडाई प्रारंभ की थी उसे आगे बढ़ाने के लिए सौ सुनंदा कदम के नेतृत्व मे मुख्य समिती के श्री आबासाहेब रुपनार, श्री खांदवे, श्री काशिनाथ चव्हाण, श्रीमती शैला शिंदे, सौ विजया फुलावरे, श्री तेजस शिंगोटे तथा श्री सुदाम भोसले उसी तरह जनलोक की नॅशनल कमिटी के सदस्य, श्री सदाशिव बनकर, श्री दत्तात्रय गायकवाड, श्री सचिन कडलक, श्री रमेश सावंत, श्री संजय वालदे, श्री प्रशांत रामटेके, श्री संतुलाल भारती, श्री नगिनभाई पटेल, श्री के जे परमार, श्री मगर सर व श्री प्रमोद पाल तथा राज्य महिला कृति समिती, जनलोक की सभी राज्यस्तरिय कृती समितियां, जनलोक की जिला कृती समितियां, जनलोक के सभी सभासद तथा सभी कानूनी सलाहकार संस्था के अनगिनत हितचिंतक और सबसे महत्वपूर्ण पी ए सी एल के प्रचंड संख्या मे निवेशक इन सबका साथ जनलोक को मिला जिसके कारण ही जनलोक को यह लडाई जितना संभव हो सका. इसलिए बडे ही गर्व के साथ हम यह कथन करना चाहते है कि पी ए सी एल निवेशकों के अधिकारों के लिए जनलोक द्वारा शुरु की हुई इस लडाई मे संपादित प्रचंड यश के शिल्पकार यह सभी व्यक्ती है ।



Sundam